भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *529
उत्तर देने की तारीख 1 अप्रैल, 2026

पीएम-वाणी योजना के तहत वाई-फाई हॉटस्पॉट

***529. श्रीमती कमलेश जांगड़े:**
डॉ. भोला सिंह:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) योजना की शुरुआत से अब तक इसके तहत पंजीकृत पब्लिक डेटा ऑफिस, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स और ऐप प्रदाताओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेषकर राजस्थान के भरतपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में संख्या कितनी है;

(ख) उक्त योजना के तहत देशभर में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में कुल कितने सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट परिचालित किए गए हैं;

(ग) क्या भरतपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पर्यटन स्थलों को भी उक्त योजना के दायरे में लाया गया है;

(घ) बुलंदशहर जिले सहित उत्तर प्रदेश में वर्तमान में परिचालित हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों जैसे भरतपुर और अर्ध-शहरी क्षेत्रों, विशेषकर राजस्थान के भरतपुर, जालौर और सिरोही तथा उत्तर प्रदेश में पीएम-वाणी हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"पीएम-वाणी योजना के तहत वाई-फाई हॉटस्पॉट" के बारे में दिनांक 01 अप्रैल, 2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *529 के उत्तर के भाग (क) से (ङ) के संदर्भ में विवरण

(क):दिनांक 28.2.2026 तक प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) स्कीम की शुरुआत से अब तक इसके तहत पंजीकृत पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ), पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स (पीडीओए) और ऐप प्रदाताओं की संख्या निम्नानुसार है:

क्रम सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	पीडीओ की संख्या	पीडीओए की संख्या	ऐप प्रदाताओं की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	275	5	
2	आंध्र प्रदेश	6,076	21	
3	अरुणाचल प्रदेश	1,017	4	
4	असम	2,612	15	
5	बिहार	4,086	40	
6	चंडीगढ़	253	6	
7	छत्तीसगढ	2,839	20	
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0	0	
9	दिल्ली	2,08,946	47	
10	गोवा	430	7	
11	गुजरात	11,857	25	
12	हरियाणा	18,474	32	
13	हिमाचल प्रदेश	936	12	113**
14	जम्मू और कश्मीर	2,299	10	
15	झारखंड	1,042	23	
16	कर्नाटक	21,842	44	
17	केरल	5,002	16	
18	लद्दाख	601	1	
19	लक्षद्वीप	1	1	
20	मध्य प्रदेश	7,597	34	
21	महाराष्ट्र	34,240	52	
22	मणिपुर	21	8	
23	मेघालय	256	4	
24	मिजोरम	3	2	
25	नागालैंड	78	7	
26	उड़ीसा	3,037	30	

27	पुद्दुचेरी	89	5	
28	पंजाब	3,713	26	
29	राजस्थान	2,890	32	
30	सिक्किम	13	2	
31	तमिलनाडु	7,504	31	
32	तेलंगाना	4,288	21	
33	त्रिपुरा	310	8	
34	उत्तर प्रदेश	51,590	55	
35	उत्तराखंड	980	22	
36	पश्चिम बंगाल	4,206	47	
कुल		4,09,403	207*	

* यह देशभर में पीएम-वाणी स्कीम के तहत पंजीकृत विशिष्ट पीडीओए की संख्या है। कुछ पीडीओए एक से अधिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रचालन करते हैं

** ऐप प्रदाता राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत हैं।

इसके अतिरिक्त दिनांक 28.2.2026 तक, भरतपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पीएम-वाणी स्कीम की शुरुआत से अब तक इसके तहत पंजीकृत पीडीओ, पीडीओए की संख्या क्रमश: 101 और 8 है।

(ख): दिनांक 28.2.2026 तक देश भर में पीएम-वाणी स्कीम के तहत प्रचालित सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट की कुल संख्या 4,09,403 है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के 2,389 सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट शामिल हैं।

(ग): पीएम-वाणी फ्रेमवर्क के तहत, सेवा प्रावधान पूरी तरह से बाजार से संचालित है, जो किसी क्षेत्र में तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर स्थानीय उद्यमशीलता पहल पर निर्भर करता है। सरकार की भूमिका नीति को सक्षम बनाने तक सीमित है।

(घ) : उत्तर प्रदेश राज्य में दिनांक 28.2.2026 तक प्रचालित पीएम-वाणी वाई-फाई हॉटस्पॉट की संख्या 51,364 है जिसमें बुलंदशहर जिले के 32 पीएम-वाणी वाई-फाई हॉटस्पॉट शामिल हैं।

(ङ): ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों सहित देश भर में पीएम-वाणी हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ाने के दृष्टिगत दूरसंचार विभाग द्वारा दिनांक 16.9.2024 को इस स्कीम के तहत निम्नलिखित नीतिगत अंत:क्षेप जारी किए गए हैं:

(i). पीडीओ की लागत में कमी लाने और व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए उन्हें निम्नलिखित की अनुमति दी गई है: -

(1) नियमित फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) कनेक्शन के माध्यम से पीएम-वाणी की पेशकश करना; और

(2) इंटरनेट सेवा प्रदाता की ओर एकल बैकहॉल में मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स को एकत्रित करना

(ii) राजस्व सृजित करने और व्यवहार्यता बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए: -

(1) पीडीओ को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को मोबाइल डेटा ऑफलोड सेवा प्रदान करने की अनुमति दी गई है; और

(2) पीडीओए और ऐप प्रदाताओं को प्रयोक्ताओं की सहमति से संभावित पीएम-वाणी वाई-फाई प्रयोक्ताओं को कॉनटेंट और प्रोमोश्नल, और ब्रांडिंग संदेश भेजने की अनुमति दी गई है।

(iii) प्रयोक्ता एक्सेस और अनुभव को बढ़ाने के लिए: -

(1) मौजूदा घर और व्यवसाय प्रयोक्ताओं को राजस्व सृजित करने और व्यवहार्यता बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए अपने वाई-फाई एक्सेस पॉइंट्स को अपेक्षाकृत बड़े पीएम-वाणी नेटवर्क से जोड़ने की अनुमति दी गई है।

(2) प्रयोक्ताओं को विभिन्न पीडीओए के पीएम-वाणी वाई-फाई हॉटस्पॉट के बीच सुचारू रूप से स्विच करने में सक्षम बनाने के लिए पीडीओए को रोमिंग की अनुमति दी गई है।

इसके अलावा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 16.6.2025 को लागत कम करने और व्यवहार्यता बढ़ाने हेतु पीडीओ के लिए रिटेल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी संबंधी टैरिफ आदेश जारी किया है जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि इंटरनेट सेवा प्रदाता पीडीओ को सभी रिटेल एफटीटीएच ब्रॉडबैंड योजनाओं को 200 मेगाबिट्स प्रति सेकंड तक की अधिकतम गति की दर पर देंगे जो संबंधित उपभोक्ता ब्रॉडबैंड टैरिफ से दोगुने से अधिक न हों।
